उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ–226018

दूरभाष : 0522–2618850
फैक्स : 0522–2616638

पत्रांक 4577 / एच0एम0बी0 / 526/2018 दिनांक 26-10-18

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
महर्षि बाबा गालूदास गंगा सागर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कालेज,
शाहमुहम्मदपुर, रसड़ा, बलिया।

विषयः– डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महर्षि बाबा गालूदास गंगा सागर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कालेज, शाहमुहम्मदपुर, रसड़ा, बलिया के प्रबन्धक, श्रीमती चाँदमुनी के पत्र दिनांक 17.11.2017 के माध्यम से डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में दिनांक 28.03.2018 को गठित 03 सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 में निर्धारित मानकों के आधार पर दिनांक 11.04.2018 को संस्था का स्थलीय निरीक्षण कर, निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसे बोर्ड कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1514 / एच0एम0बी0 / 585 / 2018 दिनांक 18.05.2018 द्वारा गठित परीक्षण समिति से परीक्षण कराया गया। उक्त परीक्षण समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लिखित कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–3707 / एच0एम0बी0 / 526 / 2018, दिनांक 30.08.2018 द्वारा संस्था को लिखा गया। संस्था द्वारा उक्त कमियों को पूर्ण करते हुए अपने पत्र दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर बोर्ड के पत्र दिनांक 27.09.2018 द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि विषयगत संस्थान द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 में निर्धारित उपकरणों तथा अवस्थापना सम्बन्धी मानकों को पूर्ण किया गया है तथा संस्था के प्रबन्धक द्वारा योजित शपथ–पत्र दिनॉक 09.05.2018 में यह बयान दिया गया है कि *"उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्याः 1372 / 71–आयुष–2–2015–92 / 96 टी0सी0 दिनॉक 21.12.2015 में दिये नियम एवं शर्तो एवं निर्धारित समय–सारणी का पूर्ण पालन करेगी।"*

2– उक्त आधार पर शासनादेश संख्या–5451 / 96–आयुष–2–2018–134 / 2017 दिनॉक 08.10.2018 के सन्दर्भ में महर्षि बाबा गालूदास गंगा सागर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कालेज, शाहमुहम्मदपुर, रसड़ा, बलिया को डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम (100 सीटों की क्षमता) संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1372/71-आयुष-2-2015 92/96 टीoसीo, दिनांक 21.12.2015 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु 31 अगस्त की तिथि निर्धारित है, जिसे वर्तमान सत्र 2018-19 में 30 नवम्बर, 2018 तक बढ़ाये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। यदि शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक की अवधि बढ़ा दी जाती है तो यह अनुमति 2018-19 हेतु अन्यथा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु मान्य होगी तथा आगामी सत्र हेतु मानक पूर्ति के सम्बन्ध में संस्था के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए पृथक से यथा आवश्यकता निरीक्षण कराकर अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. संस्था द्वारा उ०प्र० शासन, आयु अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या: 1372/71-आयुष-2-2015-92/96 टीoसीo दिनॉक 21 दिसम्बर, 2015 में दिये गये आदेशों, निर्देशों, शर्तो एवं निर्धारित समय-सारणी आदि का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा, किन्तु छात्रों के प्रवेश हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित तिथि मान्य होगी।
3. शासन एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं शासनादेशों का संस्था द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा डीoएचoपीo पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश में मा० न्यायालयों के आदेशों, यदि कोई है अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में कोई भी भत्ता देय न होगा तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में लिया जाना बाध्यकारी न होगा।
6. डी.एच.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से प्रशिक्षण व अन्य शुल्क के रूप में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. प्रशिक्षण में आरक्षण सुसंगत शासनादेशानुसार देय होगा।
8. संलग्न प्रेषित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तो के अधीन उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार संस्था स्वयं करेगी।
9. बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है। पठन-पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी। संस्था में निर्धारित मानक की शत-प्रतिशत पूर्ति होनी चाहिए, त्रुटि पाये जाने पर संस्था के प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी दशा में संस्था के छात्रो को अन्य मान्यता प्राप्त निकटवर्ती संस्था में समायोजित कर दिया जायेगा।
10. बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. यह मान्यता संस्था द्वारा निरीक्षण दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

डा० (अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।

पत्रांक: /एच०एम०बी०/ तददिनॉक।

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन आयुष अनुभाग-2 को शासन के पत्र संख्याः संख्या-5451/96-आयुष-2-2018-134/2017 दिनॉक 08.10.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

डा० (अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।